फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2019/00306 बअनवान हनवंतसिंह बनाम ओटसिंह वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
07/04/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान व अप्रार्थी अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी की अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त भूमि ग्राम भागली के खसरा नंबर 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 140, 141, 401, 402, 412/436, 414/461, 6 कुल खसरा 14 कुल रकबा 23.04 हैक्टर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त सहखातेदारी की भूमि दर्ज होना प्रमाणित है। तथा वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी हनवंतसिंह पुत्र पहाडसिंह का 1/4 हिस्सा दर्ज होना भी प्रमाणित है। प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार ज्ञात है कि प्रार्थी ने रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार भूमि के विभाजन का वाद पेश किया है। तथा कुंए से पानी निकासी के लिये टर्न तय किये जाने का भी निवेदन किया है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण दलील देते है कि भूमि का मौके पर 50 वर्ष पूर्व बंटवाडा हो चुका है। तथा बंटवाडे के मुजब अप्रार्थीगण संख्या 04 से 08 के हिस्से बंट में आये खसरा नंबर 401 में अप्रार्थीगण संख्या 04 से 08 ने ट्यूबवैल खोदकर विद्युत कनेक्शन लिया है। जिससे वो अपने हिस्से बंट की भूमि की सिंचाई कर फसलें ले रहे है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की दलील दी गई। उभयपक्ष वकुलाय की बहस एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओं पर हस्तगत प्रकरण का परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि भागली के खसरा नंबर 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 140, 141, 401, 402, 412/436, 414/461, 6 कुल खसरा 14 कुल रकबा 23.04 हैक्टर में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा दर्ज है। रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने तथा कुंए से पानी लेने के लिये अधिकार रखता है। परंतु हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण के जवाब से यह ज्ञात है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके हिस्से बंट अनुसार काश्त करने देने के लिये सहमत नहीं है तथा पूर्व में हुये तथाकथित बंटवाडे को आधार बनाते हुये अपनी हठधर्मिता पर कायम है। विधि के प्रावधानों अनुसार रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सा के अनुसार अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसके हिस्से बंट की भूमि से वंचित नहीं रख सकते। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति पर हस्तगत प्रकरण का परीक्षण किये जाने के उपरांत वादग्रस्त भूमि भागली के खसरा नंबर 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 140, 141, 401, 402, 412/436, 414/461, 6 कुल खसरा 14 कुल रकबा 23.04 हैक्टर में प्रार्थी के दर्ज 1/4 हिस्सा की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार से दखलअंदाजी नहीं करें। प्रार्थी को उसके हिस्से बंट अनुसार कुंए से पानी निकालने में भी अवरोध नहीं करे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण मूल वाद के निर्णय तक जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.) *

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner